सं0101 /व0ग्रा0वि0/जलागम अनु0/2002

प्रेषक,

बी0पी0पाण्डेय,
सचिव,
उत्तरॉचल शासन.

सेवा में,

निदेशक,
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
उत्तरॉचल, देहरादून.

कृषि एवं जलागम अनुभाग दिनॉक : देहरादून : मई 24, 2002

विषय : जलागम प्रबन्ध निदेशालय के प्रमुख उद्देश्य, उत्तरदायित्व एवं कार्यो का निर्धारण.

महोदय,

उत्तरांचल राज्य में जलागम विकास नीति को सुनियोजित तथा सुव्यवस्थित ढंग से कार्यरूप देने हेतु जलागम प्रबन्धन विभाग को स्थाई स्वरूप प्रदान करते हुये शासन द्वारा जलागम प्रबंध निदेशालय का पुनर्गठन किया गया है जिसके क्रम में शासनादेश संख्या 203/ जलागम/ कृषि/ 2002, दिनांक 15–5–2002 के द्वारा जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत पदों का सृजन कर दिया गया है।

नवगठित उत्तरांचल राज्य के अंतर्गत राज्य स्तर पर विभिन्न जलागम प्रबंध योजनाओं का संचालन जो कि विभिन्न विभागों/ एजेंसियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, को समेकित रूप से उनके अनुश्रवण/ समन्वयन हेतु जलागम प्रबंध निदेशालय को एक नोडल एजेंसी के रूप में चिन्हित किया गया है। इस दायित्व को सुचारू एवं समयबद्ध तरीके से चलाने हेतु जलागम प्रबंध निदेशालय, एक Umbrella इकाई के रूप में कार्य करेगा।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जलागम प्रबन्ध निदेशालय के पुनर्गठन के फलस्वरूप जलागम प्रबंध निदेशालय के प्रमुख उद्देश्य, उत्तरदायित्व एवं कार्य निम्न प्रकार होंगे:–

उद्देश्य :

जलागम विकास का उद्देश्य प्राकृतिक संशाधनों का उचित उपयोग तथा प्रबन्धन, पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाये रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्धि,

क्रमशः–2 पर

कृषि आधारित आर्थिक विकास, ग्रामीण समुदाय की क्षमता का विकास, भूमि कटाव की रोकथाम, जल संग्रह तथा क्षेत्र का विकास तथा स्थानीय जन जीवन को निरन्तर विकास की ओर अग्रसर करना है।

उत्तरदायित्व एवं कार्य :

1– विभिन्न विकास विभागों द्वारा संचालित जलागम आधारित कार्यक्रमों का समन्वय, नियोजन तथा मूल्यांकन।

2– विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों द्वारा एक पक्षीय तथा अलग–अलग संचालित की जा रही जलागम आधारित योजनाओं में सामंजस्य तथा इनमें केन्द्रभिमुखता सुनिश्चित करना।

3– प्रदेश के जलागम क्षेत्रों में ज्योलोजी, ज्योमार्फोलोजी, ज्योहाइड्रोलोजी, भूमि उपयोग, मृदा, भू–क्षरण एवं भू–स्खलन तथा सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के अध्ययनों के आधार पर सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के उपचार हेतु प्राथमिकता का निर्धारण तथा योजनायें तैयार करना।

4– ग्रामीण सहभागिता को अधिक व्यापक एवं व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए तथा क्षमता निर्माण के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

5– रिसर्च इंस्टीट्यूशन्स, विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी संस्थाओं से विकसित तकनीकी जानकारी प्राप्त करना। अनुसंधान एवं विकास के प्रस्ताव हेतु मॉडल जलागम क्षेत्र विकास योजनाओं का कार्यान्वयन।

6– पारिस्थितिकीय संतुलन को दृष्टिगत रखते हुये विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तथा बुनियादी ढांचे का विकास।

7– परियोजना क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता हेतु स्थानीय संस्थाओं की स्थापना।

8– जलागम योजनाओं के लिये केन्द्र अथवा वित्त संस्थाओं से वित्तीय संसाधन जुटाना।

9– प्रदेश के कृषि, भूमि सरंक्षण, वन, उद्यान, पशुपालन, वन, लघु सिंचाई आदि विभागों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा तैयार की गयी जलागम आधारित

क्रमशः——3 पर

योजनाओं का तकनीकी परीक्षण, अनुमोदन, सुझाव तथा दोहराव की स्थिति को रोकना।

10– सामुहिक प्रबंधन व्यवस्था, क्षमता विकास, स्वरोजगार एवं स्वावलम्बन आदि सामाजिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण कायकर्मों, गोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन।

11– कृषि, उद्यान, वानिकी, जल संरक्षण तथा ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं के विकास हेतु तकनीकी सुझाव, मानकों आदि का निर्धारण।

12– भू–सूचना पद्धति को विकसित कर अन्य विभागों को योजना तैयार करने हेतु सूचना उपलब्ध कराने हेतु "डाटा बैंक" को तैयार करना।

13– राज्य स्तर पर जलागम योजनाओं के प्रभाव का आंकलन, डॉक्यूमेंटेशन, दृश्य एवं श्रवण कायकर्मों का आयोजन।

14– तकनीकी सेवा प्रदान करना।

जलागम प्रबन्धन व्यवस्था की नीति निर्धारण, कार्यान्वयन, मूल्यांकन एवं प्रभाव के आंकलन हेतु राज्य स्तर, अन्तर्विभागीय स्तर एवं जिला स्तर पर वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 45/एस0ओ0एफ0आर0डी0सी0/ जलागम/ दिनांक 17–3–2001 द्वारा राज्य स्तरीय जलागम प्रबन्ध समिति तथा अन्तर्विभागीय टास्क फोर्स समिति तथा शासनादेश संख्या 66/जलागम/2001, दिनांक 30–6–2001 द्वारा जिला स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया गया है।

कृपया तद्नुसार कार्यान्वयन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(बी0 पी0 पाण्डेय)
सचिव।

क्रमशः–4 पर

पत्रांक 101 --/ जलागम/ 2002/ तददिनांकित।

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तरांचल राज्य।
2— प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल राज्य।
3— मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4— प्रमुख सचिव/आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन।
5— सचिव, कृषि/पशुपालन/लघु सिंचाई/वन/उद्यान/ग्राम्य विकास।
6— आयुक्त गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/ नैनीताल।
7— प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, कैम्प कार्यालय, देहरादून।
8— मुख्य अभियन्ता सिंचाई/ लघु सिंचाई, यमुना कालोनी, देहरादून।
9— निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग, चौबटिया, रानीखेत।
10— अपर निदेशक, कृषि एवं भूमि संरक्षण, पौड़ी।
11— अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गोपेश्वर, चमोली।
12— समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से

24.5.2002

(डा0 पी0 एस0 गुसांई)
अपर सचिव,

कार्यालय मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
पत्रांक 2799 / 5-28 (1), दिनांक, देहरादून, मई 31, 2002.

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त निदेशक, कृषि/उद्यान/नियोजन, जलागम प्रबन्ध निदेशालय।
2. परियोजना निदेशक, IWDP हिल्स-II कोटद्वार एवं हल्द्वानी।
3. उप परियोजना निदेशक, IWDP हिल्स-II ऋषिकेश/ कोटद्वार/ लैंसडौन/ हल्द्वानी/ रामनगर
4. उप परियोजना निदेशक, मुख्यालय/ प्रशिक्षण/ मूल्यांकन एवं अनु० जलागम प्रबन्ध निदेशालय [illegible]/
5. लेखाधिकारी/ सहायक वन संरक्षक/ परियोजना अर्थशास्त्री/ संयुक्त निदे[illegible] संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण, जलागम प्रबन्ध निदेशालय।
6. नियोजन कार्यालय अधीक्षक/ नियोजन कक्ष/ लेखा कक्ष/ अधिष्ठान/ आशुलिपिक कक्ष, जलागम प्रबन्ध निदेशालय।

G/C

परियोजना नि[illegible]
([illegible])
जलागम प्र[illegible]